01/1.30

संख्या:– 80/XXVIII–5–2018–173/2009

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2018

विषयः लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय,देहरादून में फोर्टिस हेल्थ केयर लि0 के सहयोग से संचालित कार्डियक सेन्टर के माह अगस्त,2016 से फरवरी,2017 तक की अवधि के बीजकों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–27प/पी0पी0पी0/04/2009/28715 दि0 02 नवम्बर,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय,देहरादून में फोर्टिस हेल्थ केयर लि0 के सहयोग से संचालित कार्डियक सेन्टर के माह अगस्त,2016 से फरवरी,2017 तक के बीजकों की सम्प्रति कुल धनराशि **₹2,39,17,775/–(रूपया दो करोड़ उनतालीस लाख सत्रह हजार सात सौ पिचहत्तर मात्र)** के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान फोर्टिस हेल्थ केयर लि0,देहरादून के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त संस्था को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,देहरादून जिम्मेदार होंगे।
2. निजी सहभागी द्वारा प0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में प्रदान की जा रही सेवाओं के संतोषजनक होने के सम्बन्ध में पूर्णतः सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। KPI के अनुसार यदि कटौती बनती हो, तो अनुबन्धानुसार धनराशि में कटौती की जानी सुनिश्चित कर ली जाय।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. उक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं महानिदेशक से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2008 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

C:\Users\...\Desktop\2017-18\General\Letter.doc

6. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, मतदेय, 06–लोक स्वास्थ्य, 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–674/03(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–31 जुलाई,2017 एवं शासनादेश संख्या–610/03(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–30 जून 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक अलॉटमेन्ट आई डी0– S1801120353

भवदीय,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

संख्या– 50 (1)/XXVIII–5–2018–173/2009, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, महालेखाकार भवन,कौलागढ़,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
5– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव

C:\Users\medical5\Desktop\2017-18\General\Letter.doc